



2026:AHC:17523

## न्यायालय संख्या – 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 926 वर्ष 2026

आवेदक :- पीयूष सिंह उर्फ मनोज

विपक्षी:- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : प्रदीप कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : अनन्या उपाध्याय, जी.ए., राकेश चंद्र उपाध्याय

## माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश चंद्र उपाध्याय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - हल्दी, जनपद - बलिया के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 193 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अनीश सिंह उर्फ गोलू को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2251 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।
5. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस राम विश्रोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का आधार बनाया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- पीयूष सिंह उर्फ मनोज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो भारी जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के खुलने, (2) आरोप विरचित करने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

9. बंध पत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 27 जनवरी 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।